क्रमांकः प. 5(2)कार्मिक/क-2/2008 पार्ट-II जयपुर, दिनांकः 31.7.12

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
2. समस्त शासन प्रमुख सचिव,
3. समस्त शासन सचिव।

विषयः– एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 6717/2007, लड्डू देवी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।

निदेशानुसार लेख है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी लड्डु देवी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में पिछले 20 वर्ष से अधिक से 350/– रूपये प्रतिमाह पर सेवा में है। मा0 उच्च न्यायालय ने इस पर अत्यन्त नाराजगी प्रकट करते हुए राज्य के समस्त विभागों से निम्नलिखित बिन्दूओं पर सूचना चाही हैः–

1. The State Government should furnish complete list of the persons engaged on urgent temporary basis, contractual basis, ad-hoc basis and officiating basis in all the departments along with their duration.

2. The State Government should further specify as to why they are not managing their affairs by engaging person as per rules, more specifically, as per mandate of the judgment in the case of Uma Devi (Supra). They are directed to explain as to why they are flouting the direction given in the said judgment.

3. The respondents are further directed to furnish a list of the cases pending before Rajasthan High Court involving the issue for denial of minimum wages, regularization and pay scale to those persons working for last so many years. The effort of the Court is to directed the Government to take proper action in the matter so that large number of pending cases may be disposed of without further delay. Since the directions are given and to be complied with by the respondents, two weeks time is granted for the aforesaid purposes.

उक्त प्रकरण न्यायालय में दिनांक 7.8.2012 को सुनवाई हेतु निश्चित है, अतः वांछित सूचना 3 दिवस में, अधिकतम दिनांक 6.8.12 तक आवश्यक रूप से महाधिवक्ता कार्यालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में सीधे ही भिजवाने का श्रम करें तथा इस कार्यालय को भी सूचित करावें।

शासन प्रमुख सचिव 31.7.2012

का.प्रशास/उच्च एवं तक. शिक्षा
क्रमांक 8051
दिनांक 3/8/12

Urgent To day

Urgent

LA III

क्रमांकःए16.(विप्र)विधि/निकाशि/2012 / 857 दिनांकः 7-8-2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

(1) समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज जयपुर/भरतपुर/जोधपुर/ बीकानेर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 317–2012 द्वारा वांछित सूचना समस्त राजकीय महाविद्यालयों से संकलित कर दिनांक 9–8–2012 तक निदेशालय को फैक्स द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्देशों की पालना में राज्य सरकार को सूचना भिजवायी जा सके।

(2) समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(3) डा॰ धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता एवं प्रभारी को दी जाकर लेख है कि निदेशालय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर